INDIAN Government and Politics

[B.A. (Hons) - 2nd year
Paper - 3rd paper]

Date / / Page No.:

मौलिक कर्तव्य : (Fundamental Duties)

42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 (क) में मौलिक कर्तव्यो को उल्लेख किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति (1976) ~~[illegible]~~ ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनु० 51 (क) में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।

(i) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेंगे।

(ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करेंगे

(iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करेंगे और उसको अक्षुण्ण रखेंगे।

(iv) देश की रक्षा करे तथा बुलाये पर राष्ट्र की सेवा करेंगे।

(v) धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें।

(vi) हमारी सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।

(vii) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

(viii) मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें।

(ix) हिंसा से दूर रहे तथा सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें।

(x) व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊंचाईयों को छू ले।

"You have to take the calculated risk, to earn something." —Dhirubhani Ambani

Scanned with CamScanner

(11) 14 साल तक के बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

मूल कर्तव्यों का समावेश

डॉ. स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिशों के आधार पर किया गया। मूल कर्तव्यों के पालन न किये जाने पर दंड की कोई व्यवस्था न होने पर मूलकर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों को दंड की व्यवस्था करें।

Dr. Umakant Paswan
Department of Political science

Scanned with CamScanner